राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः एफ 40(83)ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेन्स–ग्राविपरावि/शा.प./2014 जयपुर दिनांकः 9 MAR 2015

परिपत्र

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा के साथ ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेन्स (Convergence) कर ("शामलात पहल" योजना) कार्य कराये जाने बाबत दिशा–निर्देश।

1. पृष्ठ भूमि, कार्य विस्तार एवं सामान्य दिशा–निर्देशः–

1.1 प्रायः यह देखा गया है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे 13वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, निर्बन्ध, बी.आर.जी.एफ., निर्मल भारत अभियान, डांग, मगरा, मेवात, स्वविवेक, सांसद व विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि योजनाओं के तहत ग्राम पंचायतों के द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार यथा अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों को मस्टररोल पर नियोजित किया जाकर सामग्री की आपूर्ति अलग से ली जाकर सम्पादित कराये जा रहे हैं। इन योजनाओं में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में से अधिकांश कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की श्रेणी में है। अतः समस्त योजनाओं से कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृतियाँ महात्मा गांधी नरेगा में अनुमत होने की स्थिति में आवश्यक रूप से कन्वर्जेन्स कर ही जारी की जावें तथा श्रम सामग्री अनुपात 60:40 संधारित करते हुए मनरेगा योजना से वित्त पोषित किये जावे।

1.2 उक्त योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची–1 के पैरा 4 (1) में वर्णित समस्त प्रकार के कार्यों के लिए लागू होगी, जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन से सम्बन्धित लोक निर्माण कार्य यथा जल संरक्षण और जल शास्य, जल सम्भर प्रबन्धन कार्य, सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य, सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृजन, पुनुर्रूज्जीवन और अनुरक्षण, परम्परिक जलाशयों का पुनुर्रूज्जीवन, सामान्य और वन भूमियों, सड़क सीमांतों, नहरबन्द, कुण्ड तटाग्र और तटीय पट्टी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना और बागवानी कार्य, भूमि विकास कार्य, चारागाह विकास कार्य, सम्पर्क सड़क, असम्बद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सड़क नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों को जोड़ने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सड़क संयोजकता उपलब्ध करना और ग्राम में पक्की आन्तरिक सड़कों या गलियों, जिनके अन्तर्गत पार्श्विक नालिया और पुलिया भी है का संनिर्माण, विद्यालय शौचालय, आंगनबाड़ी शौचालय, ग्राम पंचायतों के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों, परिसंघों, चक्रवात आश्रय, ग्रामीण हाटो और ग्राम या ब्लॉक स्तर पर शवदाह गृह के भवन निर्माण, अधिनियम के अधीन सृजित ग्रामीण लोक आस्तियों का रखरखाव आदि शामिल हैं।

1.3 महात्मा गांधी नरेगा के साथ ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेन्स (Convergence) कर कराये जाने वाले कार्यों को "शामलात पहल" योजना के कार्यों के नाम से जाना जायेगा।

2. कार्य क्षेत्रः–

2.1 योजना का कार्य क्षेत्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–राजस्थान में शामिल समस्त जिले होगें।

3. कन्वर्जेन्स कार्य योजनाः–

भाग 'अ':– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के तहत योजना के अंतर्गत अनुमत समस्त कार्य लिये जा सकेंगें, जिसमें कार्य पर अकुशल श्रम व सामग्री का 60:40 का अनुपात संधारित करते हुये कराये जावें, यदि कार्य में शामिल सामग्री राशि (अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक व्यय सहित) निर्धारित श्रम सामग्री अनुपात 60:40 से अधिक हो तो अतिरिक्त सामग्री राशि भाग–ब में वर्णित अन्य योजनाओं से वित्त पोषित की जायेगी।

भाग–अ में वर्णित कार्य मनरेगा की कार्य प्रणाली एवं दिशा–निर्देशानुसार सम्पादित किये जायेंगे।

भाग 'ब':– ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं से वित्त पोषित कार्यः– निर्माण कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–राजस्थान मे अनुमत नहीं है, कराये जाने की आवश्यकता हो तो उक्त कार्यो का भी भाग–'ब' में समावेश करते हुए योजना का प्रस्ताव एकजाई रूप से तैयार किया जावे। उक्त कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे 13वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, निर्बन्ध, बी.आर.जी.एफ., आर.जी.पी.एस.ए. (राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान), निर्मल भारत अभियान, डांग, मगरा, मेवात, स्वविवेक, सांसद व विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, खान रॉयल्टी, ग्राम पंचायत की निजी आय एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं से वित्त पोषित किये जायेंगे। भाग–ब में वर्णित कार्य मनरेगा की कार्यविधि एवं दिशा–निर्देशानुसार अथवा सम्बन्धित योजना जिससे वित्त पोषित किये जा रहे है कि कार्य प्रणाली एवं दिशा–निर्देशानुसार किये जायेंगे।

4. कार्य योजना का कियान्वयनः–

4.1 स्थल चयन–

4.1.1 ग्रामीण क्षेत्र की वह भूमि जो विवादास्पद न हो, इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थल का चयन करना।

4.1.2 ऐसी राजकीय भूमि जिसका उपयोग निरीक्षण के उपरान्त शामलात पहल के कार्य विशेष के लिए उपयुक्त हो का चयन किया जा सकेगा।

4.1.3 सक्षम अधिकारी से भूमि के आंवटन की कार्यवाही पश्चात् स्थल चयन किये जावें।

4.1.4 किसी व्यक्ति द्वारा दान में दी गई भूमि पर भी नियमानुसार दानपत्र प्राप्त कर योजना का कियान्वयन किया जावें।

4.2 प्रस्ताव का अनुमोदन–

4.2.1 ग्राम पंचायत चयनित भूमि का क्षेत्रफल, पानी की व्यवस्था, आबादी से दूरी आदि बातों को ध्यान में रखते हुये कार्य विशेष का प्रस्ताव तैयार कर ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करेगी।

4.2.2 उपरोक्तानुसार तैयार प्रस्ताव ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जावेगा। ग्राम पंचायत अपनी बैठक में योजना के तहत प्राप्त सभी प्रस्तावों पर चर्चा कर अनुमोदित करेगी, तत्पश्चात पंचायत समिति एवं जिला परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

4.2.3 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से अनुमोदित प्रस्ताव को ही शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।

4.2.4 जिले में योजना अतंर्गत अधिक मात्रा में कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त होने की दशा में प्राप्त समस्त प्रस्तावों का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करते हुये कियान्वित किये जाने हेतु जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जावेगा। उक्त समिति की अनुशंषा एवं जिले के योजनान्तर्गत लेबर बजट के दृष्टिगत प्राथमिकता से लिये जाने वाले कार्यो के साथ योजना के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम किये जाने वाले कार्यो की संख्या का निर्धारण जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस द्वारा वित्तीय वर्षवार एवं पंचायत समितिवार प्राथमिकता क्रम दर्शाते हुये किया जावेगा। तदानुसार कार्यो का अनुमोदन व कियान्वयन किया जावेगा।

4.3 परियोजना प्रस्ताव तैयार करना–

4.3.1 बिन्दु सं. 4.2.1 के अनुसार ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों में से वार्षिक कार्य योजना में शामिल कार्यो के विस्तृत परियोजना प्रस्ताव वित्तीय वर्षवार एवं ग्राम पंचायतवार तैयार किये जावेगे। कार्य विशेष किये जाने हेतु उपलब्ध भूमि के आकार एवं क्षेत्रफल के आधार पर वास्तविक प्लान तैयार किया जावें। बिन्दु क्रमांक 3 में दर्शित कार्यो में से लिये जाने वाले कार्यो को स्थल की आवश्यकतानुसार लेते हुए परियोजना प्रस्ताव में समावेश किया जावेगा।

4.3.2 प्रस्ताव में वृक्षारोपण के लिये सिंचाई व्यवस्था का समुचित प्रावधान किया जावे।

4.3.3 "शामलात पहल" योजना का एकजाई रूप से तैयार किये जाने वाला प्रस्ताव दो भागो में होगा। प्रथम भाग–'अ' मे बिन्दु सं. 3 में दर्शाये गये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम अन्तर्गत अनुमत कार्यो को लिया जावेगा। दूसरा भाग–'ब' जिसमें पक्के कार्य, पीने के पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प अथवा टंकी मोटर, पाईप–लाईन आदि निर्माण कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम–राजस्थान मे अनुज्ञेय नही है, का समावेश होगा।

4.3.4 उदाहरणस्वरूप कार्य की कुल लागत रु. 4 लाख जिसमें नरेगा से अनुमत कार्यों की लागत रू. 3 लाख एवं नरेगा में गैर अनुमत कार्यों की लागत रु. 1 लाख होने पर निम्न स्थिति संभावित है:–

(राशि लाख रुपये में)

कार्य की कुल लागत	नरेगा में अनुमत कार्यों की लागत	नरेगा में गैर अनुमत कार्यों की लागत	तकमीने के अनुसार नरेगा में अनुमत कार्यों में अकुशल श्रमिक भाग की लागत	नरेगा में अनुमत आनुपातिक सामग्री राशि की लागत	नरेगा में कुल वित्त पोषित की जा सकने वाली राशि	BRGF, SFC, TFC, Untied Fund जनसहभागिता, खान रॉयल्टी, निजी आय, एमपी/एमएलए लैड से वित्त पोषित किये जाने वाली अतिरिक्त सामग्री राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(4)X40/60	(6)	(7) =(1)-(6)
4.00	3.00	1.00	1.50	1.00	2.50	1.50

अतः कार्य की कुल लागत रू. 4 लाख में से नरेगा में अनुमत लागत रू. 3 लाख होने के बावजूद 60:40 (श्रम सामग्री अनुपात में) संधारित कर मनरेगा से मात्र रू. 2.50 लाख राशि ही वित्त पोषित की जा सकती है। अतः शेष सामग्री राशि रू. 1.50 लाख का भुगतान अन्य योजनाओं जैसे BRGF, SFC, TFC, Untied Fund जनसहभागिता, सांसद एवं विधायक निधी कोष आदि से प्राप्त राशि से कन्वेंजेन्स कर किया जा सकेगा।

5. योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृतिः–

5.1 योजना के अतंर्गत तैयार किये गये प्रस्ताव में यदि केवल बिन्दु सं. 3 के भाग–'अ' में दर्शाये गये कार्यो का ही समावेश है, तो इसकी तकनीकी तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम की गाईड–लाईन के अनुसार समय–समय पर जारी निर्देशों एवं प्रावधानों के अनुरूप जारी की जावेगी।

5.2 प्रस्ताव का द्वितीय भाग–'ब' जिसमें ऐसे कार्य सम्मिलित है, जो बिन्दु सं. 3 के भाग–'अ' में दर्शाये गये कार्यो के अतिरिक्त हैं एवं नरेगा योजनान्तर्गत नहीं कराये जा सकते हैं, जो किसी अन्य योजना के मद के अंतर्गत वित्त पोषित होंगे, की तकनीकी तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धित योजना व सम्बन्धित लाईन विभागों के नियमों के अंतर्गत प्रदान की जावेगी।

5.3 बिन्दु सं. 3 भाग–'अ' में दर्शाये गये कार्यो के अतिरिक्त निर्माण कार्यो के लिये किसी दानदाता द्वारा दान स्वरूप राशि दान दी जाती है, तो उक्त कार्यो का भी समावेश कर पृथक से प्राक्कलन का भाग तैयार किया जावेगा। उक्त कार्यो पर व्यय दानदाता द्वारा ग्राम पंचायत को दी गई राशि में से किया जावेगा, जिसका लेखा–जोखा संबंधित दानदाता को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

6. कियान्वयन एजेन्सीः–

प्रस्तावित "शामलात पहल" योजना को कियान्वित करने की कार्यकारी एजेन्सी मुख्यतः ग्राम पंचायत होगी। किसी बडे प्रोजेक्ट (तकमीना राशि रू. 50 लाख से अधिक) के मामले में मुख्यालय से स्वीकृति पश्चात् लाइन विभाग भी हो सकते हैं।

7. कार्यो की गुणवत्ताः–

7.1 कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावें। इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नही किया जावें।

7.2 कार्य के कियान्वयन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का वर्कस डिपार्टमेन्ट मेनुअल के अनुसार समय–समय पर प्रयोगशाला परीक्षण कराया जावें।

7.3 कार्यो में गुणवत्ता बनाये रखने के लिये कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव, सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंता पूर्णतः जिम्मेदार होगें।

7.4 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कन्वर्जेन्स कार्य किसी लाइन विभाग द्वारा कियान्वयन एजेंसी के रूप में कराया गया हो तो नोडल अधिकारी के रूप में अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता लाइन विभाग गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें।

8. कार्यो की मॉनिटरिंगः–

8.1 "शामलात पहल" योजना के तहत प्रस्तावित कार्य में वह भाग जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम– राजस्थान के अतंर्गत विकलनीय होगा, के कियान्वयन में पारदिर्शता बरतने, निगरानी, मूल्याकंन, कार्य की माप एवं मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम–राजस्थान के तहत समय–समय पर जारी निर्देश यथावत लागू होगें।

8.2 विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा "शामलात पहल योजना" के कम से कम 10 प्रतिशत कार्यो की समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कियान्वयन की मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जावेगी।

8.3 पंचायत समिति अंतर्गत पदस्थ कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता तथा कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला स्तर पर पदस्थ अधिशाषी अभियंता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस समस्त "शामलात पहल योजना" कार्यो की समयबद्ध कियान्वयन की मॉनीटरिंग करेंगें।

8.4 राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर (SQM) अथवा राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी द्वारा इन कार्यो की भ्रमण के दौरान मॉनीटरिंग की जावेगी।

8.5 "शामलात पहल" योजना के अंतर्गत कार्यो की मासिक प्रगति निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आयुक्त, ईजीएस को प्रेषित की जावेगी।

अतएव कन्वर्जेन्स योजना के कियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जावें।

(श्रीमत पाण्ड्ेय)
प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग

9/3/2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
6. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्व्यक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
7. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. अधिशाषी अभियंता, नरेगा, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. श्री रिंकू, एम.आई.एस. मैनेजर, ईजीएस को ईमेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

9/3/15

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस